3/9/24 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर।

तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नं. 1973/1123 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि का बेचान खातेदार राजकुमार व रोहित कुमार द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि 1/3 भाग के स्थान पर कुल 0.1124 हैक्टर भूमि का बेचान क्रयकर्ता बेगराज के नाम से विक्रय पत्र बेचान कर दिया। परन्तु स्वतः सर्वर सर्टिफिकेशन से आरो ऑनलाईन नामान्तरण में विक्रय की सम्पूर्ण भूमि का ही नामान्तरण क्रयकर्ता के नाम दर्ज हो गया। तहसीलदार द्वारा उक्त हिस्से को शुद्ध करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर तथा अधि. उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थना-पत्र पुर्सी की स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ख.नं. 1973/1123 रकबा 0.55 हैक्टर वाके ग्राम गोकुलपुरा की भूमि की वर्तमान खातेदारी में खातेदार बेगराज पुत्र इन्द्र का हिस्सा 1/3 के स्थान पर बेगराज का हिस्सा 1124/5500, राजकुमार, रोहित कुमार का हिस्सा 532/4125 शुद्ध किये जाने की स्वीकृति भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। तहसीलदार सीकर को निर्देश दिये जाते हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे द्वारा से सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर